संख्या 3016/1-11-2003-रा0-11-15/99टी.सी.

प्रेषक,

श्री अनन्त कुमार सिंह
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ:दिनांक 26 नवम्बर, 2004

विषय : वित्तीय वर्ष 2004-05 में सम्भावित शीत लहरी में राहत कार्य किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

इस वर्ष शीत ऋतु का आरम्भ हो रहा है और पूर्व वर्षो की भांति शीत लहरी के प्रकोप की सम्भावना बनी रहेगी। शीत लहरी से मुख्यतया गृह विहीन/निराश्रित/ असहाय व्यक्ति अधिक प्रभावित होते हैं। अतएव् यह परमावश्यक है कि उन्हें सम्भावित शीत लहरी के प्रकोप से बचाव हेतु पूर्व तैयारी सुनिश्चित कर ली जाये। इस संबंध में मुझे आपसे निम्नवत् कार्यवाही किए जाने हेतु कहने का निर्देश हुआ है:-

क. निराश्रितों को शीत लहरी के प्रकोप से बचाने के लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में ससमय अलाव जलाएं जायें। अलाव जलाने का स्थान चयन करते समय यह ध्यान रखा जाय कि अलाव ऐसे स्थान पर जलाएं जहां अधिक से अधिक निर्धन जनता खुले आसमान के नीचे निवास करती हो या एकत्र होती हो, उदाहरणार्थ - धर्मशालायें, रैन-बसेरा, मुसाफिर खाना, पड़ाव, सराय, चौराहा, रेल/बस स्टेशन, सर्वाजनिक स्थान/हाट/स्टैण्ड आदि। अलाव के अतिरिक्त निराश्रितों/गृह विहीनों को नि:शुल्क कम्बल बांटने की व्यवस्था भी की जाए। वितरण हेतु खरीदे जाने वाले कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 सेमी0, चौड़ाई कम से कम 140 सेमी0 तथा वजन कम के कम 2.2 किग्रा0 का होना चाहिये। इन कम्बलों को लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के शासनादेश संख्या 745/18-5-2002-59(एस0पी0)/92 दिनांक 22 अप्रैल,2002 में

निर्धारित शर्तो के अधीन श्रीगांधी आश्रम, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम, यूपिका, एवं उ0प्र0 निर्यात निगम लि0 से क्रय किया जाय।

ख. शीत लहरी के दौरान आश्रयहीनों को शीत लेहर से सुरक्षित रखते के लिए रैन-बसेरों, बाढ़ शारणालायों, धर्मशालाओं, रिक्त सरकारी कार्यालयों अन्य सार्वजनिक भवनों एवं विद्यालयों आदि को पूर्व में ही चिन्हित कर उनके रात्रि निवास हेतु व्यवस्था की जाय। जहां पर निर्मित भवन उपलब्ध न हो सके वहां पर अस्थायी टेन्टों के माध्यम से इसकी व्यवस्था की जाये। ऐसे स्थलों पर शीत की तीव्रता के दृष्टिगत यथावश्यकता बड़ी दरियां एवं कम्बल की व्यवस्था की जा सकती है तथा दरियों के नीचे पुआल बिछाकर उनके रहने के स्थान को गर्म एवं अरामदेह बनाया जा सकता है। निर्मित भवनों में रात्रि में अलाव की व्यवस्था भी की जा सकती है, किन्तु अलाव जलाएं जाने की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाय कि भवनों के दरवाजें एवं खिड़कियां बन्द न किये जायें। पण्डालों के मामले में अलाव की व्यवस्था पण्डालों के बाहर की जाए क्योंकि पण्डालों में आग लगने की सम्भावना रहेगी।

ग. जिन स्थलों पर अलाव जलाये जायें एवं अस्थायी रैन-बसेरों, टेन्टों एवं पण्डालों की व्यवस्था की जाये उनकी सूची सम्बन्धित तहसीलों, स्थानीय निकायों, विकास खण्डों के सूचना पट्ट पर लगायी जाये, जिसमें आम जनता को इसकी सूचना रहे तथा व्यवस्था की पारदर्शिता बनी रहे।

2. उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि अलाव जलाने एवं कम्बल वितरण के कार्य में स्वयं सेवी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जाये तथा उनके द्वारा वितरित कम्बल/वस्त्र का विवरण शासन को प्रेषित विवरण पत्र में पृथक से उपयुक्त स्तम्भ में दिया जाये।

3. शीत लहरी के प्रभाव से यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराते हुए उसकी सूचना प्रतिदिन वेबसाइट पर शासन को उपलब्ध करायी जाये। इसके अतिरिक्त संलग्न प्रारूप पर दैनिक कार्यवाही एवं व्यय का विवरण शासन को शीत लहरी की सम्भावना बने रहने तक नियमित रूप से वेबसाइट के माध्यम से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय। वेबसाइट का पता है : http://upgov.nic.in/rahat । यदि किसी कारण से इन्टरनेट कार्य न कर रहा हो तो यह सूचना फैक्स से भेजी जाये किन्तु, इन्टरनेट ठीक होते ही प्रत्येक दिन की सूचना वेबसाइट पर डाल दी जाये।

4. यह भी देखा गया है कि समाचार पत्रों में शीत लहरी से मृत्यु की सूचना यदा कदा प्रकाशित होती रहती है। ऐसी सूचना के तथ्यों की जांच/जानकारी तुरन्त की जाय और यदि तथ्य निराधार पाये जायें तो समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित

कराया जाये। शीत लहरी के प्रकोप से बचाव के लिए अपनाए गये उपायों व किए गये राहत कार्यों की जानकारी समय-समय पर सार्वजनिक रूप से प्रसारित एवं प्रकाशित भी की जाया करे। इस हेतु स्थानीय मीडिया का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाए।

5. शीत लहरी से बचाव के सम्बन्ध में पूर्व में जनता एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्य योजना बना ली जाय तथा शीत लहरी प्रारम्भ होने के पूर्व जिला स्तरीय आपदा राहत परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित कर उनके परामर्श को ध्यान में रखते हुए वांछित व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि शीत लहरी से बचाव एवं राहत कार्यों का पूरा लाभ निराश्रित, असहाय एवं समाज के जरूरतमंद लोगों को मिले। राहत कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तथा पारदर्शिता की दृष्टि से राहत वितरण के समय जनप्रतिनिधियों/मीडिया की उपस्थिति भी यथा सम्भव सुनिश्चित की जाय। राहत में वितरित की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। शीत लहरी के समय जलाएं जाने वाले अलावों एवं अन्य अस्थायी रैन बसेरों, टेन्टों एवं पण्डालों के स्थलों का नियमित निरीक्षण कराने के साथ-साथ उच्च स्तरीय आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाय।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय

(अनन्त कुमार सिंह)
सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या 3016(1)/1-11-2004 रा0-11-15/99टी.सी., तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद।
3. निदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्ध (आपदा प्रबन्धन सेल) अकादमी, लखनऊ।
4. राजस्व अनुभाग 10 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शीत लहरी से बचाव हेतु कृपया आप समस्त जनपदों को धनराशि आवंटित करने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाइल

आज्ञा से

(टी0एन0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या 3016/1-11-2004 रा0-11-15/99टी.सी. दिनांक 25.11.2004 का संलग्नक

शीतलहरी की दैनिक सूचना का प्रपत्र

जनपद का नाम .... सूचना की तिथि..............

क. तापमान (औसत) निम्नतम अधिकतम

ख. <u>शासकीय राहत कार्यः</u>

1. स्थापित राहत शिविरों की संख्या :..
2. राहत शिविरों में पहुंचाए गये व्यक्तियों की संख्या:..
3. लकड़ी की मात्रा(कुंतल में):..
4. लकड़ी की मूल्य :..
5. कम्बल की संख्या:..
6. कम्बल का मूल्य :..
7. मृत व्यक्तियों की संख्या:...
8. वितरित अनुग्रह सहायता:...
9. मृत पशुओं की संख्या:..
10. वितरित अनुदान:..
11. अस्पताल पहुंचाये गये शीत प्रभावित व्यक्तियों की संख्या:................................

ग. <u>स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा वितरित राहत सामग्री</u>

अ. कम्बल/वस्त्र (संख्या):..

ब. लकड़ी (मात्रा सहित):...

स. खाद्यान्न (मात्रा सहित):..

घ. शीत लहरी की अवधि

अ. प्रारम्भ ....

ब. अन्त ....